Government Post Graduate College, New Tehri (Uttarakhand)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी, उत्तराखण्ड
Phone 01376 234964 Mob. No.+91941207700 Email Id : gpgnttnac@gmail.com

BOOKLET OF THE
CODE OF CONDUCT(S)
FOR STUDENTS

आचार संहिता

समस्त छात्रों पर लागू होने वाली आचार संहिता निम्नवत् है

खण्ड–1

छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार पर अंकुशः

छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा व्यक्तियों के समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियां अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. महाविद्यालय में किसी शिक्षक, कर्मचारी किसी अभिकरण इकाई अथवा अन्य निकाय के सदस्य, शिक्षणेत्तर कर्मचारी अथवा ऐसे किसी संस्थान अथवा इकाई के छात्र अथवा किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य हेतु परिसर में किसी आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी अथवा कोई अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में महाविद्यालय तंत्र के किसी संस्थान अथवा संस्थान की इकाई में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यो, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्य कलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यो में किसी भी प्रकार से बाधा पहुॅचाना।
3. विशेष निर्णय जिन पर महाविद्यालय के सन्दर्भ में नियन्ता अथवा अन्य संस्थानों के सन्दर्भ में सम्बन्धित संस्थान में अनुशासन निर्वहन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना महाविद्यालय के परिसर में लाउड स्पीकरों अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
4. महाविद्यालय अथवा एक से अधिक संस्थानों या किसी संस्थान की इकाई द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणेत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड 4 में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियां, पंपलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनायें आदि सम्मिलित है का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थो का रखना एवं वितरण।
8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह मध्य के मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
10. किसी शस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाना।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
13. अनुसूचितजाति एवं अनुसूचितजनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
14. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार युक्त अथवा यौन उत्पीड़न का भान कराने वाला कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. मिथ्या कथन अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
16. किसी भी रूप में रिश्वत् देने का कोई प्रयास अथवा कोई अन्य भ्रष्ट आचरण।
17. कोई ऐसा कृत्य जो महाविद्यालय की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हों।
18. कोई कृत्य जो निषिद्ध भवनों अथवा क्षेत्रों में अनाधिकृत उपस्थिति अथवा प्रवेश या उल्लंघन सदृश्य हो तथा महाविद्यालय इकाई के भवनों पर कब्जा।
19. ऐसा कोई कृत्य जो महाविद्यालय के कार्य कलापों में किसी वाह्य व्यक्ति अथवा संस्था या प्राधिकारी के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता हो अथवा उसका आशय रखता हों।
20. अनाधिकृत कोष संग्रह।

21. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त महाविद्यालय में प्रविष्ट होना।
22. नैतिक अधमता सदृश्य कोई कृत्य।
23. कोई अन्य कृत्य जो महाविद्यालय के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हों।
24. खण्ड–2 में पारिभाषित रैगिंग करने सम्बन्धी अथवा उस में लिप्त होने सम्बन्धी कोई कृत्य।
25. छात्रों को परिसर में मोबाईल फोन अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक यंत्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दृश्य सामाग्री देखना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

खण्ड–2
रैगिंग से सम्बन्धितः

महाविद्यालय ने रैगिंग की समस्या के नियंत्रण हेतु यू0जी0सी0 के नियम अपने परिसर में रैगिंग की प्रभावशाली रोकथाम हेतु महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश 2009 मार्च तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या–310/04/एस0आई0ए0, दिनांक– 26 फरवरी, 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित प्रावधान किये है,

1. रैगिंग से अभिप्राय हैः

   Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such student will not in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall br deemed to be ragging.

2. रैगिंग से सम्बन्धित गतिविधिः
   - रैगिंग करने के लिए उकसाना।
   - रैगिंग करने के लिए अपराध षड़यंत्र।
   - रैगिंग हेतु गैर कानूनी सभा एवं दंगा करना।
   - रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
   - रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
   - रैगिंग शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
   - अनुचित रूप से अथवा प्रतिबन्धित करना।
   - अनुचित रूप से बंधक बनाना।
   - अपराधिक बल का प्रयोग करना।
   - साथ ही आक्रमण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
   - जबरन वसूली।
   - अपराधिक अतिक्रमण।
   - सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
   - अपराधिक रूप से धमकाना।
   - रैगिंग के शिकार अथवा शिकारों में उपरोक्त में से किसी अथवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास।

- रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध।

3. रैगिंग से सम्बन्धित दण्डः

संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है,

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा से निलम्बन।
- छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- संस्था से एक से चार सेमेस्टर (दो वर्ष की) अवधि हेतु निष्कासन।
- संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरानत अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रू0 25 हजार का जुर्माना।
- जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाय तब सम्भावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

खण्ड–3

पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरणः

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र को शास्ता कार्यालय द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा। किसी छात्र को जारी पहचान पत्र को ही उसके महाविद्यालय का छात्र होने का एकमात्र प्रमाण माना जायेगा। शास्ता मण्डल के किसी सदस्य के मांगने पर प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने में किसी छात्र के असमर्थ रहने की स्थिति में उसे अनाधिकृत प्रवेशकर्ता माना जायेगा एवं उसके विरूद्ध (महाविद्यालय के नियमों के अधीन) कार्यवाही की जयेगी। पहचान पत्र खो जाने की सूचना शास्ता कार्यालय को देना होगा तथा शास्ता कार्यालय से इस आशय का आवेदन प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुये तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि पहचान पत्र शास्ता कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
2. मांग करने पर छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र प्राचार्य द्वारा जारी किया जाता है। लिखित आवेदन करके निर्धारित शुल्क जमा करने पर छात्रों को जितनी बार आवश्यकता हो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। परन्तु जिन छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया गया हो अथवा जिन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो अथवा रैगिंग में लिप्त पाया गया हो उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्राविधानः

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है।